हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰ / आर॰ओ॰ / 2020 / 256 दिनांक : 23 / 12 / 2020

कार्यालय आदेश (256 / 2020)

विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन / परिसरों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अपने–अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं नियमानुसार छात्रों / अविभावकों एवं आगन्तुकों के विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कार्यों का निर्धारित समय के अन्तर्गत त्वरित गति से निस्तारण किया जाये। एतदद्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय अवधि के दौरान देय भोजन अवकाश मात्र आधा घण्टे का ही रहेगा। भोजन अवकाश का समय **अपराह्न 01:00 बजे से 01:30 बजे** तक अथवा **01:30 बजे से 02:00 बजे** तक ही नियमानुसार निर्धारित किया जाता है। दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे के अन्तराल में अधिकारी / कर्मचारी अपनी सुविधानुसार इसका उपभोग कर सकते हैं।

मेरी विश्वविद्यालय हित में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अपेक्षा है कि उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

डॉ॰ अजय कुमार खण्डूड़ी
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. परिसर निदेशक (टिहरी / पौड़ी / चौरास) / निदेशक आई॰क्यू॰ए॰सी॰।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / नियंता / मुख्य छात्रावास अधीक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. प्रभारी, वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
5. संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
6. अधिशासी अभियन्ता / समस्त सहायक अभियन्ता / कोडिनेटर ई–गवर्नेंस सेल / डी॰पी॰यू॰।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी / प्रभारी।
8. सिस्टम मैनेजर को उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी सचिव, कुलपति, मा॰ कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
10. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड
11. कार्यालय प्रति।

डॉ॰ अजय कुमार खण्डूड़ी
कुलसचिव